न्यायालयः—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन, जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— **डॉ. ऋचा चायल, आर.जे.एस.**
सी.आई.एस. नंबर :— **Cr. Reg. Case/151/2021**
सी एन आर नंबर :— **RJBD080002572021**

निर्णय दिनांकः—10.03.2026

आरक्षी केन्द्र के.पाटन, जिला बून्दी के मुकदमा संख्या 544/2019 अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 अधिनियम व धारा 185, 3/181, 5/180, 146/196 मोटर वाहन अधिनियम से उदभुत प्रकरण।

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजकुमार डागर सहा. अभि. अधि.
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**1. राजू** पुत्र मिश्री लाल, **2. मिश्री लाल** (मृतक), पुत्र धन्ना लाल निवासीगण जावरा की झोपड़ी, पुलिस थाना गेण्डोली, जिला बून्दी (राज.) (मृत्यु होने से दिनांक 14.11.2025 को उसके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गयी।)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री रामकिशन प्रजापत, अधिवक्ता

अपराध की तिथि	18.11.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	18.11.2019
आरोप पत्र की तिथि	11.02.2021
आरोप सारांश सुनाये जाने की तिथि	11.02.2021
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	04.11.2024
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	10.03.2026
निर्णय की तिथि	10.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	—

अभियुक्त का विवरण :—

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण की दिनाक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध

							की अवधि
1.	राजू	05.02. 2026	10.03. 2026	धारा 279, 337, 338, भा.दं.सं., 1860 व धारा 185, 3/181 एमवी एक्ट	दोषमुक्त	—	—

अभियोजन साक्ष्य की सूची :—

(क) अभियोजन साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.—1	गोपाल सिंह	ताईदी साक्षी
अ.सा.—2	विक्रम	नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.—3	दीनदयाल गोचर	रेडियोग्राफी करना
अ.सा.—4	डॉ. महावीर दीक्षित	चिकित्सकीय साक्षी
अ.सा.—5	जमनाबाई	आहता
अ.सा.—6	प्रहलाद	शिकायतकर्ता, ताईद एफ.आई.आर. व बयान 161 जा.फो.
अ.सा.—7	फौरूलाल	नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.—8	पुष्पेंद्र सिंह	मैकेनिक मुआयना करना
अ.सा.—9	काशीराम मीणा	फर्द जब्ती
अ.सा.—10	शिवराज	अनुसंधानकर्ता

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
बचाव साक्षी —1	—	—

(ग) न्यायालय साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
न्यायालय साक्षी—1	—	—

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

(क) अभियोजन :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी.—1	नक्शा मौका
2.	प्र.पी—2	एक्स—रे प्लेट कवर नोट
3.	प्र.पी.—3	एक्स—रे प्लेट कवर नोट
4.	प्र.पी.—3ए लगायत प्र.पी.	एक्स—रे प्लेट

	—3सी	
5.	प्र.पी.—4	चोट प्रतिवेदन जमना बाई
6.	प्र.पी.—5	चोट प्रतिवेदन राजू
7.	प्र.पी—6	तहरीर रिपोर्ट
8.	प्र.पी.—7	मैकेनिकल मुआयना
9.	प्र.पी.—8	फर्द जब्ती
10.	प्र.पी.—9	चाक एफ.आई.आर
11.	प्र.पी.—10	धारा 133 एम.वी.एक्ट का नोटिस
12.	प्र.पी.—11	धारा 134 एम.वी.एक्ट का नोटिस

(ख) प्रतिरक्षा :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	—	—

(ग) न्यायालय प्रदर्श :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	—	—

(घ) आवश्यक वस्तुयें :—

क्रम संख्या	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	—	—

—:: निर्णय ::—

1. प्रकरण के मूलतः तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 18.11.2019 को प्रार्थी प्रहलाद ने सी.एच.सी. के.पाटन में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 18.11.2019 को 4:50 बजे करीब उसकी काकी जमना बाई पत्नी भवानी शंकर पेट्रोल पम्प पर डीजल लेने जा रही थी। मायजा की तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाईकिल बजाज प्लेटिना आर.जे. 08 एस.एम. 1464 से गफलत लापरवाही से तेज गति से लहराता हुआ लाया और उसकी काकी जमना बाई के टक्कर मार दी, जिससे उसके दाहिने पैर में फेक्चर हो गया और अन्य जगह पर शरीर पर चोट लग गयी थोड़ी देर बाद उन्हें सूचना मिलने पर वह तथा गोपाल उसे उठाकर के.पाटन हॉस्पीटल पहुंचा जहां से डॉक्टर देखकर कोटा रेफ कर दिया। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें।

2. उक्त तथ्यों के आधार पर आरक्षी केन्द्र के.पाटन में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—544/2019 दर्ज की गई और बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता 1860 (आगे भा.दं.सं. 1860 से विर्निदिष्ट किया जायेगा) व धारा 185, 3/181, 5/180, 146/196 का अपराध प्रमाणित पाया जाकर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। आरोप पत्र में उपलब्ध सामग्री से अभियुक्त राजू के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं., 1860 व धारा 185, 3/181 एमवी एक्ट तथा अभियुक्त मिश्रीलाल (मृतक) के विरूद्ध

धारा 5/180, 146/196 एमवी एक्ट का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. आरोप पत्र की सुस्पष्ट प्रति अभियुक्तगण के अधिवक्ता को उपलब्ध करवाई गई। गवाहान के बयान तथा उपलब्ध अन्य सामग्री के आधार पर अभियुक्त राजू के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं., 1860 व धारा 185, 3/181 एमवी एक्ट तथा अभियुक्त मिश्रीलाल (मृतक) के विरूद्ध धारा 5/180, 146/196 एमवी एक्ट का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर आरोप सारांश मौखिक रूप से अभियुक्तगण को सुनाया समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर प्रकरण साक्ष्य में नियत किया गया।

4. अभियोजन की ओर से कुल 10 साक्षी परीक्षित करवाये गये और प्रदर्श 1 से 11 तक प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं., 1973 में परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान द्वारा किये गये कथन गलत होना जाहिर किया है तथा कथन किया कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण की ओर से साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

5. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिये हैं कि पत्रावली पर संलग्न समस्त साक्ष्य सामग्री से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

6. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण तर्क दिये गये कि प्रकरण में मौके के गवाहन द्वारा स्पष्ट रूप से दुर्घटना कारित करने वाली गाड़ी का नंबर न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं किया है। अभियुक्त की मौके पर वाहन चलाने में कोई लापरवाही हो, यह अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया है। मौके का कोई चश्मदीद, स्वतंत्र गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया, जिससे वह अभियोजन का मामला संदेहप्रद रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे।

7. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को निम्न विचारणीय बिन्दु के संबंध में विवेचन करना है—

1. क्या अभियुक्त राजू ने दिनांक 18.11.2019 को समय 4:50 बजे बजे या उसके लगभग स्थान ग्राम लेसरदा पेट्रोल पम्प, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी में वाहन मोटरसाईकिल बजाज प्लेटिन नंबर आर.जे. 08 एस.एम. 1464 को

उतावलेपन/उपेक्षा से चलाकर परिवादी की काकी को कुलचकर मानवजीवन संकटापित किया जिसके फलस्वरूप परिवादी की काकी के शरीर पर साधारण व गंभीर प्रकृति की चोटें कारित हुई तथा अभियुक्त राजू ने वैध ड्राईविंग लाईसेंस नहीं होने के बावजूद वाहन को चलाया?

2. यदि हां, तो अभियुक्तगण के लिये उचित दण्ड क्या होगा?

8. अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष कुल 10 गवाहान् के बयान लेखबद्ध करवाये गये है। गवाह पी.डब्ल्यू—4 जमनाबाई आहता है, पी.डब्ल्यू—6 प्रहलाद हस्तगत प्रकरण का परिवादी है, पी.डब्ल्यू—1 गोपाल ताईदी साक्षी है।, पी. डब्ल्यू—2 विक्रम व पी.डब्ल्यू—7 फोरूलाल नक्शे मौके के गवाह हैं, पी.डब्ल्यू—8 पुष्पेंद्र सिंह मैकेनिकल मुआयना करने वाला साक्षी है, पी.डब्ल्यू—4 डॉ. महावीर दीक्षित आहता एवं अभियुक्त राजू की चोटों का मेडिकल मुआयना करने वाला चिकित्सक है, पी.डब्ल्यू—3 दीनदयाल रेडियाग्राफर है, पी.डब्ल्यू—9 काशीराम मीणा फर्द जब्ती का गवाह है, पी.डब्ल्यू—10 शिवराज हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है।

9. सर्वप्रथम पी.डब्ल्यू—5 जमनाबाई, जो कि हस्तगत प्रकरण आहता है के बयानों का अवलोकन किया गया, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए है कि बयानों से पांच—छह साल पहले शाम को चार पांच बजे की बात है। वह अपने घर से पैदल—पैदल पेट्रोलपंप पर तेल लेने जा रही थी। वह लेसरदा पेट्रोलपंप के पास पहुंची तो खटखड़ की तरफ से एक मोटरसाईकिल, जिसके नंबर आरजे 08 एसएम 1464 का चालक मोटरसाईकिल को तेज गति व लहराते हुए चलाकर लाया और उसके सामने से टक्कर मार दी जिससे उसके दांहिने पैर पर व शरीर पर चोटे आयीं। टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल का चालक भी नीचे गिर गया और उसके भी चोटे आयीं। फिर वहां पर प्रहलाद व गोपाल सिंह आये, जिनको उसने घटना के बारे में बताया जो उसे पुलिस की गाड़ी में बैठाकर अस्पताल में लेकर गये। टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल के चालक को भी साथ में लेकर गये थे। टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल के चालक से नाम पूछा तो उसने अपना नाम राजू बताया व उसकी जेब में मिली आईडी से भी उसका नाम राजू पाया गया। अस्पताल के.पाटन से उन्हें कोटा रेफर कर दिया था। उसे व राजू को कोटा रेफर कर दिया था। उसका ईलाज कोटा में भी हुआ। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना कराया था। कोटा में हुए ईलाज के दस्तावेज मूल उसके पास नहीं है। उसने वकील साहब को दे दिये थे।

10. जिरह में गवाह कथन करती है कि वह पढ़ी—लिखी नहीं है। गाड़ी के नंबर उसे उसके लड़के ने बताये थे। गाड़ी के नंबर उसे याद नहीं है। वह पेट्रोल पम्प पर जा रही थी। यह कथन सही होना बताता है कि वह रोड़ के साईड में चल रही थी, रोड़ पर कोई खड्डे नहीं हैं। उसके आगे से मोटरसाईकिल से

टक्कर मारी थी। मोटरसाईकिल चालक मायजा की ओर से आ रहा था। उसका गांव घटनास्थल से दो किमी की दूरी पर है। यह पेट्रोल पंप मायजा से पहले गौशाला के पास है। वह राजू को वर्तमान में नहीं पहचान सकती है।

11. गवाह पी.डब्ल्यू—6 प्रहलाद, जो कि हस्तगत प्रकरण का परिवादी होकर आहता जमना बाई का भतीजा है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि बयानों से पांच—छह साल पहले शाम को चार—पांच बजे की बात है। उसकी काकी जमनाबाई पेट्रोल पंप पर डीजल लेने पैदल—पैदल गयी थी। जब वह पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो थोड़ी देर बाद उसे सूचना मिली कि उसकी काकी का एक्सीडेंट हो गया है जिसपर वह व गोपाल एसआर पेट्रोल पंप पर पहुंचें तो देखा कि उसकी काकी जमनाबाई नीचे पड़ी हुई थी, जिसके पैरों में चोटे आयी हुई थीं। पास ही एक मोटरसाईकिल व उसका चालक नीचे पड़ा हुआ था। मोटरसाईकिल के चालक की जेब से उसकी आईडी नीचे पड़ी हुई थी जिसमें उसका नाम राजू लिखा हुआ था। फिर वे टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल के चालक राजू व जमनाबाई को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर के.पाटन अस्पताल लेकर आये थे। जहां से दोनों को कोटा रेफर कर दिया था। वहां से कोटा लेकर गये थे। उसने मौके पर पड़ी मोटरसाईकिल के नंबर देखे थे जो आरजे 08 एसएम 1464 थे। जमनाबाई को होश आने पर उसे उसने बताया था कि जैसे ही वह पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो एक मोटरसाईकिल नंबर आरजे 08 एसएम 1464 का चालक मोटरसाईकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाकर लाया और जमनाबाई के सामने से टक्कर मार दी, जिससे उसके दाहिने पैर में चोट आयी थी। राजू ने शराब पी रखी थी उसके पास एक दो पव्वे उसकी जेब में पड़े हुए थे। उसने अस्पताल में टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल के चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजू बताया था। पुलिस को रिपोर्ट उसने दी थी जो प्रदर्श पी—6 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही से घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था जो प्रदर्श पी—1 है जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

12. जिरह में गवाह कथन में यह कहना सही बताता है कि उसने एक्सीडेंट होते हुये नहीं देखा। उसे गांव वालों ने सूचना दी थी कि एक्सीडेंट हो गया है। वह वहां पहुंचा तो उसकी काकी जमनाबाई वहां पड़ी हुयी थी। पुलिस की गाड़ी जमनाबाई व राजू को अस्पताल लेकर आयी थी तथा उसे घटना के बारे में जमनाबाई ने ही बताया था। राजू मीणा के साथ और कोई नहीं था। वह अकेला ही था। वह थोड़ा वहुत पढ़ालिखा है। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी—6 में उसके द्वारा राजू मीणा का नाम कहीं भी अंकित नहीं कराया था। तहरीरी रिपोर्ट प्र.पी.—1 नक्शामौका में वह नहीं समझता है। प्र.पी.—6 पुलिस वालों ने लिखी थी। उसने तो सिर्फ हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उसे प्र.पी.—6 पढ़कर नहीं सुनाया था।

13. गवाह पी.डब्ल्यू—1 गोपाल सिंह अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि सन् 2019 की बात है। जमनाबाई पेट्रोल पंप लेसरदा पर डीजल लेने पैदल—पैदल गयी थी, जैसे ही जमनाबाई पेट्रोल पंप की ओर जाने लगी तभी

सामने से एक मोटरसाईकिल नंबर आर.जे. 08 एस.एन. 1464 का चालक राजू मोटरसाईकिल को तेज गति से लहराते हुये लाकर जमनाबाई के टक्कर मार दी, जिससे जमनाबाई के चोटें आयीं। उस समय वह पेट्रोल पंप के खेत पर ही था। जहां से उसने घटना देखी थी। किसी ने एंबुलेंस को फोन कर दिया। मोटरसाईकिल चालक वहीं पड़ा था। राजू व जमनाबाई को एंबुलेंस में डालकर वह अस्पताल लेकर गया। राजू की जेव से उसका आधार कार्ड निकला था, जिसमें उसका नाम राजू मीणा अंकित था।

14. जिरह में इस गवाह ने कथन किये हैं कि वह राजू को पहले से नहीं जानता था। उसनवे घटना 20 मीटर दूर से देखी थी। राजू गाड़ी को लहराते हुये चला रहा था।

15. गवाह पी.डब्ल्यू—2 विक्रम का कथन रहा है कि पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था। जमनाबाई का एक्सीडेंट हुआ था, इस बाबत नक्शा मौक़ा बनाया था, जो प्रदर्श पी—1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

16. जिरह में गवाह यह कहना सही बताता है कि घटना उसके सामने घटित नहीं हुयी। नक्शे मौके में क्या लिखा है, उसे पता नहीं है।

17. गवाह पी.डब्ल्यू—7 फौरूलाल अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि पुलिस ने एक्सीडेंट के मामले में उसके सामने लिखापढ़ी की थी। लेसरदा पेट्रोलपंप के पास उसकी मां जमनाबाई का एक्सीडेंट हुआ था। इस बात का पुलिस ने उसके सामने नक्शा मौका बनाया था, जो प्रदर्श पी—1 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं।

18. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उसने एक्सीडेंट होते हुये नहीं देखा। प्र.पी.—1 को देखकर बताया कि उसकी मां का एक्सीडेंट का नक्शा मौक़ा है। प्र.पी.—1 के डी स्थान पर अंगूली लगाकर बताया कि एक्सीडेंट यहां हुआ है।

19. गवाह पी.डब्ल्यू— 8 पुष्पेंद्र सिंह अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 14.12.2019 को थाना के पाटन में कानि. चालक के पद पर तैनात था। उस दिन उसने थानाधिकारी के आदेश से मुकदमा नंबर 544/19 धारा 279, 337, 338 आई पी सी में जप्तशुदा मोटरसाईकिल नंबर आर जे 08 एस एम 1464 का मैकेनिक मुआयना किया था। वाहन को पूर्ण रूप से चैक कर स्टार्ट कर चलाकर देखा गया। वाहन में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। वाहन चालू हालत में था। वाहन की हैड लाईट का टोपा टूटा हुआ था। दायीं तरफ का इंण्डिगेटर व साईड ग्लास टूटा हुआ था। पीछे का बाई तरफ का इंण्डिगेटर टूटा था। वाहन के पीछे मडगार्ड में अंग्रेजी में राजू लिखा हुआ था। मैकेनिक मुआयना प्र.पी. 7 है जिस पर ए से बी उसके हस्ता. है।

20. जिरह में गवाह कथन करता है कि उसने एम.टी.ओ. का कोर्स कर रखा है, लेकिन इस बाबत कोई दस्तावेज इस पत्रावली में नहीं लगे हैं। उसने एक्सीडेंट वाहन का जो मैकेनिक मुआयना किया था, उसके फोटो नहीं लिये थे। अगर मोटरसाईकिल नीचे गिर जाये तो इण्डिगेटर वगै. टूट सकते हैं। यह उसे ध्यान नहीं है कि प्र.पी.7 में इण्डिगेटर नये थे या पुराने।

21. गवाह पी.डब्ल्यू—4 डॉ. महावीर दीक्षित, जो कि आहता की चोटों का मेडिकल मुआयना करने वाला चिकित्सक है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 18.11.2019 को सीएचसी के. पाटन में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी के.पाटन के प्रतिवेदन पर उसने जमनाबाई पत्नी भवानीशंकर के शरीर पर आयी चोटो का मेडिकल मुआयना किया था जो निम्न है :— 1— सूजन 4 गुणा 3 गुणा 2 सेमी. जो दांये पैर के घुटने के उपर आयी हुई थी, जिसके लिये उसने एक्सरे की राय दी गयी, जो कुन्द हथियार से कारित थी। 2—सूजन 2 गुणा 1.5 गुणा 1 सेमी. जो सिर के दायें तरफ कारित थी, जिसके लिये एक्सरे की राय दी गयी चोट कुन्द हथियार से कारित थी। 3—खरोंच 2 गुणा 1 सेमी. दांये हाथ की कोहनी पर थी साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित थी। 4—खरोंच 3 गुणा 2 सेमी. बांये हाथ के पंजे पर थी साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित थी। सभी चोटों की अवधि 24 घंटे के भीतर की थी। बाद एक्सरे चोट नंबर 1 गंभीर प्रकृति की व चोट नंबर 2 साध ाारण प्रकृति की पायी गयी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—4 उसका कलमी है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी राय अंकित है। इसी प्रतिवेदन पर उसने मजरूब राजु पुत्र मिश्रीलाल के शरीर पर आयी चोटो का मेडिकल मुआयना किया जिसके शरीर पर निम्न चोटे थी :— 1—कुचला हुआ घाव 3 गुणा 2 गुणा 1 सेमी. सिर के बांये तरफ कारित थी कुन्द हथियार से कारित थी, जिसके लिये एक्सरे की राय दी गयी। 2—कुचला हुआ घाव 2 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. जो दांये हाथ के कलाई पर थी कुन्द हथियार से कारित थी इसके लिये एक्सरे की राय दी गयी। 3—सूजन 2 गुणा 1 सेमी. जो छाती के आगे के भाग में आयी हुई थी जिसके लिये एक्सरे की राय दी गयी। 4—खरोंच 1 गुणा 1 सेमी. बांये हाथ की पहली अंगूली पर कारित थी। साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित थी। 5— खरोंच 1 गुणा 1 सेमी. बांये पैर के पंजे पर कारित थी साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित थी। 6—खरोंच 1 गुणा 1 सेमी. सीधी आंख के नीचे की तरफ साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित थी। 7—निलगू निशान 2 गुणा 1 सेमी. दांये पैर के पंजे पर साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित थीं। 8—खरोंच 2 गुणा 1 सेमी. बांये कान के उपर कारित थी जो साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित थी। मजरूब राजू की चोटों के सबंध में एक्सरे करवाकर राय हेतु उसके पास नहीं लाया गया इसलिए चोट की प्रकृति बताया जाना सभंव नहीं है। चोटों की अवधि 24 घंटे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—5 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मजरूब राजु ने एल्कोहल का सेवन किया हुआ था, जिसका नोट उसने प्रदर्श पी—5 के सी से डी भाग पर अंकित किया था।

22. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि चोट प्रतिवेदन प्र.पी—4 में अंकित चोटे गिरने—पड़ने से आना संभव है।

23. गवाह पी.डब्ल्यू—3 दीनदयाल गोचर अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 28.11.2019 को सीएचसी के.पाटन में रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने डॉ महावीर दीक्षित सीएचसी के.पाटन के प्रतिवेदन पर मजरुबा जमनाबाई पत्नी भवानीशंकर के दांये पैर व सिर का एक्सरे किया था, जिसकी एक्सरे प्लेट नंबर 577, 578, 579 दिनांक 28.11.2019 है एक्सरे प्लेट कवर नोट प्रदर्श पी—2 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी—2ए लगायत 2सी है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 13.12.2019 को उसने डॉ महावीर दीक्षित के प्रतिवेदन पर मजरूब राजू पुत्र मिश्रीलाल के सिर व दांये हाथ की कलाई व बांये पैर का एक्सरे किया था जिसके एक्सरे प्लेट नंबर 592, 593, 594 दिनांक 13.12.2019 है। एक्सरे प्लेट कवर नोट प्रदर्श पी—3 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है एक्सरे प्लेट प्रदर्श पीश—3ए लगायत प्रदर्श पी—उसी है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

24. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि वह रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, इसलिये यह नहीं बता सकता कि उपरोक्त चोट गंभीर थी या नहीं।

25. गवाह पी.डब्ल्यू—9 काशीराम मीणा फर्द जब्ती का गवाह है, जो अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि पुलिस ने उसके सामने एक मोटरसाईकिल आर.जे. 08 एस.एम. 1464 मिश्रीलाल से जब्त की थी। मोटरसाईकिल प्लेटिना थी। 6 साल पहले जब्ती की थी। फर्द जब्ती प्र.पी.—8 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

26. जिरह में गवाह कथन करता है कि उसे गाड़ी के नंबर याद नहीं है। गाड़ी आगे से टुटी हुयी थी। इस कथन को सही होना बताता है कि गाड़ी के गिरने से आगे का टोपा टूटना संभव है। गाड़ी के चेचिस नंबर भी उसे याद नहीं है। पुलिस ने उसे कुछ लिखा हुआ था। वहां पर साईन करवाये थे। उसे पुलिस ने लिखा हुआ सुनाया होगा परंतु आज उसे याद नहीं है। गाड़ी के उपर किसी प्रकार का कोई पहचान चिह्न अंकित नहीं था। उसके सामने पुलिस ने कोई फोटोग्राफ कराये हो तो उसे पता नहीं है।

27. गवाह पी.डब्ल्यू—10 शिवराज अनुसंधान अधिकारी, जो कि अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 18.11.2019 को थाना के.पाटन ए.एस. आई. के पद पर कार्यरत था। उस दिन सी.एस.सी. के.पाटन में जरिये दूरभाष सूचना प्राप्त हुयी कि एक व्यक्ति एक्सीडेन्ट से मजरूबी अवस्था में इलाज कराने हेतु आया। कार्यवाही हेतु आयी उक्त सूचना पर सी.एस.सी. के पाटन पहुंचा। जहां जमनाबाई और राजू मजरूबी अवस्था में मिले। परिवादी प्रहलाद ने घटना के

संबंध में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट से मामला धारा 279, 337 आई.पी.सी. का बनना पाये जाने पर उसके द्वारा कार्यवाही पुलिस कमिट कर वापसी थाने पर पहुंचकर तहरीरी रिपोर्ट थानाधिकारी लखनलाल मीणा के समक्ष पेश की। जिस पर थानाधिकारी लखनलाल मीणा ने प्रकरण सं. 544/2019 धारा 279, 337 आई.पी. सी. में दर्ज कर अनुसंधान उसे सुपुर्द किया। तहरीरी रिपोर्ट प्र.पी.—6 है जिस पर सी से डी कायमी मुकदमा, ई से एफ थानाधिकारी लखनलाल मीणा के हस्ताक्षर हैं। चाक एफ.आई.आर. प्र.पी.—9 है जिस पर ए से बी थानाधिकारी लखनलाल मीणा के हस्ताक्षर, जिनके हस्ताक्षर वह अधीनस्थ कार्य करने से पहचानता है। तहरीरी रिपोर्ट प्र.पी.—6 है। अस्पताल के.पाटन से शवराज ए.एस.आई. ने लाकर पेश की। प्र.पी.—6 पर जी से एच शिवराज ए.एस.आई. के हस्ताक्षर हैं। चाक एफ. आई.आर. प्रदर्श पी—9 का सी से डी शिवराज ए.एस.आई. के हस्ताक्षर हैं, जिनके हस्ताक्षर उनके अधीनस्थ कार्य करने से पहचानता है। दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका फरियादी प्रहलाद की निशादेही से बनाया, जो प्र.पी. 1 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं व बयान फरियादी प्रहलाद, गवाह जमनाबाई व गोपाल सिंह के बयान अनुसार लेखबद्ध किये गये। प्रकरण में वांछित मोटरसाईकिल नं. आर.जे. 08 एस.एम. 1464 को मिश्रीलाल द्वारा पेश करने पर जरिये फर्द प्र.पी. 8 जब्त किया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। जब्शुदा मोटरसाईकिल के पंजीकृत वाहन स्वामी मिश्रीलाल को धारा 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया, जिसके जवाब में वाहन स्वामी मिश्रीलाल ने बताया कि दिनांक 18.11.2019 को राजू चला रहा था। नोटिस प्र.पी. —10 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं, सी से डी मिश्रीलाल द्वारा मिश्रीलाल का जवाब ई से एफ मिश्रीलाल के हस्ताक्षर हैं। जिस पर चालक राजू को 134 एम.वी. एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया, जो प्र.पी.—11 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। सी से डी राजू का जवाब ई से एफ राजू के हस्ताक्षर हैं। जब्तशुदा मोटरसाईकल को मैकेनिकल मुआयना करवाकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की। मजरूबा जमनाबाई चालक राजू की चोटों का मेडीकल मुआयना करवाकर रिपोर्ट शामिल पत्राावली की। जब्तशुदा मोटरसाईकिल की आर.सी., बीमा, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो प्रति जब्त कर शामिल पत्राली की। मजरूबा जमनाबाई के डिस्चार्ज टिकट की फोटो प्रति शामिल पत्रावली की। अनुसंधान में मुलजिम के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 आई.पी.सी. व 185, 3/181 एम.वी.एक्ट व मिश्रीलाल के विरुद्ध धारा 5/180, 146/196 एम.वी. एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली थानाधिकारी को सुपुद्र की, जिनके द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

28. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि प्र.पी.—6 में मुलजिम के नाम का कहीं पर अंकन नहीं है। सूचना अस्पताल से थाने के टेलिफोन पर गयी थी। वह अस्पताल गया था। मोटरसाईकिल उसने मौके से जब्त की थी। जमना बाई से पेट्रोल की केन जब्त नहीं की थी तथा उस केन को जब्त करने का कोई कारण पेश नहीं किया। इस कथन को सही होना बताता है एस.आर. पेट्रोल पंप के कर्मचारियों, राजेन्द्र कुमार के बयान नहीं लिये गये। यह उसे जानकारी नहीं है कि एस.आर. पेट्रोल पंप पर केमरा लगा हो।

उसने जिस समय मोटरसाईकिल जब्त की, उस समय कोई फोटोग्राफ नहीं लिये थे। यह कहना सही बताता है कि परिवादी ने जो बताये उनके गवाहों के बयान लिये हैं। उसने धारा 133 के नोटिस के आधार पर मुलजिम बनाया था।

29. प्रकरण में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में परीक्षित आहता पी.डब्ल्यू—5 जमना बाई हालांकि अपनी मुख्य परीक्षा में घटना की दिनांक को मोटरसाईकिल संख्या आर.जे. 08 एस.एम. 1464 के चालक द्वारा सामने से लापरवाहीपूर्वक उक्त मोटरसाईकिल को चलाकर स्वयं के टक्कर मारना कहती है और मौके पर ही टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल के चालक का नाम राजू ज्ञात होना बताती है। उक्त गवाह के बयानों से यह प्रकट आया है कि मौके पर जब दुर्घटना कारित हुयी तब वाहन चालक के भी चोटे आयीं थीं। इस संबंध में गवाह से की गयी जिरह में गवाह यह दर्शित करती है कि जिस वाहन से उसके दुर्घटना कारित हुयी उसके नंबर उसे याद नहीं हैं। अपितु उक्त नंबर उसके पुत्र ने उसे बताये थे और उक्त गवाह वाहन चालक अभियुक्त राजू को भी पहचानने में स्वयं को असमर्थ होना बताती है। उक्त गवाह के बयानों से यह प्रकट आया है कि जब दुर्घटना कारित हुयी, तब उक्त गावह ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर नहीं देखे, अपितु वह मात्र अपने पुत्र के बताये अनुसार तथाकथित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर बताती है, जबकि उक्त गवाह का पुत्र घटना के समय मौके पर मौजूद रहा हो, ऐसा अभियोजन कहानी से प्रकट नहीं आता है। उक्त गवाह जहां अपने बयानों में यह भी प्रकट करती है कि टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल के चालक की जेब से मिली आई.डी. से उसका नाम राजू होना पाया था, जबकि प्रकरण में तहरीरी रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है कि मौके पर तथाकथित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक की आई.डी. से हुयी हो और उसमें वाहन चालक का नाम राजू अंकित हो। ना ही हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त की ऐसी कोई आई.डी. जब्त की गयी है, जिसमें उसका नाम राजू अंकित हो। ना ही अभियोजन द्वारा साक्ष्य के दौरान ऐसा कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित कराया गया, तो केवल परिवादिया के कहने मात्र से उक्त तथ्य साबित नहीं हो जाता है कि मौके पर वाहन चालक की आई.डी. प्राप्त हुयी है।

30. इसी क्रम में मौके पर घटना के तुरंत पश्चात् पहुंचने वाले गवाहान पी. डब्ल्यू—6 प्रहलाद (परिवादी) तथा पी.डब्ल्यू—1 गोपाल न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुये हैं, जिनमें से गवाह पी.डब्ल्यू—6 प्रहलाद अपने बयानों से यह दर्शित करता है कि दुर्घटना की सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचा था, जहां मोटर साईकिल चालक तथा गवाह काकी जमना बाई नीचे पड़ी हुयी थी और उक्त गवाह स्वयं द्वारा पड़ी हुयी मोटरसाईकिल के नंबर देखना बताता है और उक्त गवाह यह भी दर्शाता है कि उसकी काकी जमना बाई जो कि दुर्घटनाग्रस्त थी, उसने बताया था कि मोटरसाईकिल चालक की लापरवाही के कारण दुर्घटना हुयी थी, परन्तु उसने एक्सीडेंट होते हुये नहीं देखा और उक्त गवाह यह भी कहता है कि गांव वालों की सूचना पर वह मौके पर पहुंचा था।

31. उल्लेखनीय है कि स्वयं आहता जमना बाई के समक्ष तथाकथित घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर बता पाने तथा अभियुक्त की पहचान करने में असमर्थ रही है और गवाह पी.डब्ल्यू—6 प्रहलाद गांव वालों की सूचना के अनुसरण में मौके पर पहुंचा, जो कि घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसे किसी गांव वाले, जिसने कि मौके पर तथाकथित दुर्घटना होते देखी, को स्वतंत्र साक्षी के रूप में मौके के गवाह के रूप में पेश कर परीक्षित नहीं कराया गया है और चूंकि गवाह पी.डब्ल्यू—6 प्रहलाद (परिवादी) प्रकरण का चश्मदीद गवाह नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में यह बात उक्त गवाह द्वारा बताये जाने कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मौके पर दुर्घटना मोटरसाईकिल चालक की लापरवाही से हुयी अथवा नहीं।

32. यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त गवाह द्वारा अपने बयानों में अपनी तहरीर रिपोर्ट से परे जाकर नये तथ्य यह प्रकट किये हैं कि मौके पर मोटरसाईकिल चालक की आई.डी. पड़ी हुयी थी, जिसके आधार पर उन्होंने मोटरसाईकिल चालक का नाम राजू होना पाया था, जबकि उक्त तथ्य का कोई अंकन तहरीर रिपोर्ट में नहीं होने से गवाह पी.डब्ल्यू—6 प्रहलाद की साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न होता है।

33. गवाह पी.डब्ल्यू—1 गोपाल सिंह भी तथाकथित दुर्घटना के तुरंत पश्चात मौके पर पहुंचने वाला गवाह है, जो अपनी मुख्य परीक्षा में यह दर्शाता है कि दुर्घटना के समय वह पेट्रोल पम्प के खेत पर ही था, जहां से उसने घटना देखी थी, जबकि परिवादी प्रहलाद ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्र.पी.—6 तथा बतौर गवाह पी.डब्ल्यू—6 अपने बयानों में मात्र यह दर्शित किया है कि उन्हें दुर्घटना की सूचना मिलने पर वह स्वयं तथा गोपाल मौके पर पहुंचे थे। उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्र.पी.—6 में यह कहीं अंकित नहीं है कि गवाह गोपाल दुर्घटना स्थल के पास मौजूद रहा हो और न ही ऐसा कोई कथन पी.डब्ल्यू—6 प्रहलाद ने अपने बयानों में किया है, जबकि गोपाल न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर दुर्घटना के समय मौके पर ही 20 मीटर दूरी पर स्वयं का मौजूद होना व दुर्घटना होते हुये देखना कहता है, जबकि घटनास्थल के पास उक्त गवाह गोपाल की मौजूदगी ही, पेश तहरीरी रिपोर्ट तथा प्रहलाद के बयानों के क्रम में संदेहप्रद है।

34. हालांकि प्रकरण में चिकित्सक पी.डब्ल्यू—4 के बयानों से घटना की दिनांक को परिवादिया जमनाबाई के शरीर पर चोटें कारित होना दर्शित आता है, परन्तु इस संबंध में स्वयं परिवादिया न्यायालय के समक्ष यह तथ्य पुष्ट करने में पूर्णतः असफल रही है कि घटना की दिनांक को किस वाहन संख्या द्वारा उसके टक्कर मारी गयी और न ही उक्त गवाह अभियुक्त की पहचान करने में सफल रही है।

35. अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू—10 शिवराज के बयानों से मात्र यह दर्शित आता है कि उसने धारा 133 एम.वी.एक्ट के नोटिस प्रदर्श पी—10 में वाहन स्वामी द्वारा दिये गये जवाब के आधार पर अभियुक्त राजू को हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त बना दिया गया है, जो कि अभियुक्त पर आरोपित अपराध को साबित

करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और चूंकि हस्तगत प्रकरण में वे गांव वाले, जो कि दुर्घटना के समय उपस्थित थे और जिनके द्वारा परिवादी प्रहलाद को संपूर्ण घटना की सूचना दी गयी है, स्वतंत्र गवाह के रूप में परीक्षित नहीं हुये है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा ही अपने वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की गयी हो, यह न्यायालय के समक्ष साबित नहीं होता है।

36. चूंकि प्रकरण में मौके पर अभियुक्त राजू की लापरवाही साबित नहीं हुयी है, ना ही उसकी पहचान साबित हुयी है और अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 185 एम.वी.एक्ट के तहत अभियुक्त का शराब पीकर वाहन चलाने के संबंध में कोई मेडिकल रिपोर्ट भी पेश नहीं हुयी है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं हो सके हैं।

37. इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश किये गये संपूर्ण साक्ष्य से अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण राजू ने दिनांक 18.11.2019 को समय 4:50 बजे बजे या उसके लगभग स्थान ग्राम लेसरदा पेट्रोल पम्प, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी में वाहन मोटरसाईकिल बजाज प्लेटिना नंबर आर.जे. 08 एस.एम. 1464 को उतावलेपन/उपेक्षा से चलाकर परिवादी की काकी को कुलचकर मानवजीवन संकटापित किया जिसके फलस्वरूप परिवादी की काकी के शरीर पर साधारण व गंभीर प्रकृति की चोटें कारित हुई तथा अभियुक्त राजू ने वैध ड्राईविंग लाईसेंस नहीं होने के बावजूद वाहन को चलाया। अतः अभियुक्त राजू को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं., 1860 व धारा 185, 3/181 एमवी एक्ट दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

आदेश

38. परिणामस्वरूप **अभियुक्त 1. राजू** पुत्र मिश्रीलाल, निवासी जावरा की झोपड़ी, पुलिस थाना गेण्डोली, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं., 1860 व धारा 185, 3/181 एमवी एक्ट में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

39. अभियुक्त को प्रकरण में अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत् धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत नियमित उपस्थिति बाबत् 10,000/— रूपये की राशि का स्वयं का मुचलका पेश करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त मुचलका आगामी 06 माह तक प्रभावी रहेगा।

40. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर साईकिल नं. आर.जे. 08 एस.एम. 1464 को पूर्व में ही उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में दिया जा चुका है, जो उसी के पास बना रहे। बाद गुजरने मियाद अपील अवधि सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा निरस्त समझे जावे।

41. अभियुक्त राजू न्यायिक अभिरक्षा में है, अतः अभियुक्त का रिहाई आदेश पृथक से जारी हो।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन जिला बून्दी

42. निर्णय आज दिनांक **10 मार्च, 2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन जिला बून्दी